राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **26 / 2023** अपील सू.प्र.

उनवान

नन्द किशोर पुत्र गोवर्धन लाल कुमावत निवासी फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा	**बनाम**	प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख अनुभाग) एवं लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा
––अपीलार्थी		––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :– प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

निर्णय

दिनांक : 21.07.2023

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख अनुभाग) एवं लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 09.05.2023 को प्राप्त हुई जिसमें अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/– रू0 का पोस्टल ऑर्डर संख्या 60 एफ 548641 के साथ एक आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा को दिनांक 22.03.2023 को प्रेषित किया, किन्तु आवेदन पत्र से वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख अनुभाग) एवं लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के कार्यालय से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा द्वारा उक्त आवेदन प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख अनुभाग) एवं लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अंतरित किया गया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 16.05.2023 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख अनुभाग) एवं लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक 68881 दिनांक 12.06.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं :–

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गयी सूचना/जवाब तैयार कर भू0अ0 अनुभाग, कार्यालय हाजा के पत्रांक 68465 दिनांक 03.05.2023 से अपीलार्थी/प्रार्थी को प्रेषित कर दी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 21.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)